

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 265 / FP/UK/Others/31137/2018 देहरादून: दिनांक: 24 जुलाई, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद- उत्तरकाशी के अन्तर्गत नगुण से धरासू एवं कल्याणी से नालूपानी तक लम्बाई-19.4 किमी0 मोटर मार्ग के किनारे आष्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.582 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/Others/31137/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिंग लि0, मोहाली, पंजाब के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.582 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 111/12-1(54) दिनांक 17-07-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथि से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

—mmmm—
(डी0जे0के0 शर्मा) 24/7/19

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/31137/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिंग, प्लॉट संख्या-ई-237, तीसरी मंजिल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-ViiiB, मोहाली, पंजाब।

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद- उत्तरकाशी के अन्तर्गत नगुण से धरासू एवं कल्याणी से नालूपानी तक लम्बाई 19.4 किमी० मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.582 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।
(Online proposal no- FP/UK/Others/31137/2018)

जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत नगुण से धरासू एवं कल्याणी से नालूपानी तक लम्बाई 19.4 किमी० मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.582 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.216 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.366 है० राजस्व भूमि अर्थात् कुल 0.582 है० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-उत्तरकाशी/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

APCCF & NODAL OFFICER (FC)
UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 24/07/2019

स्थान : देहरादून